

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

शाखा कार्यालय, एच-21, ऋषिलोक कालोनी, ऋषिकेश, जिला-देहरादून।

पत्रांक
सेवा में,

0055

/वाद संख्या - सी-0605/2024

दिनांक: 22/04/26

पुलिस क्षेत्राधिकारी
ऋषिकेश, जिला देहरादून।

विषय:- दिनांक 13/05/26 को स्थल लक्कडघाट रोड श्यामपूर ऋषिकेश में अनाधिकृत निर्माण सील किये जाने हेतु पुलिस बल उपलब्ध कराये जाने विषयक।

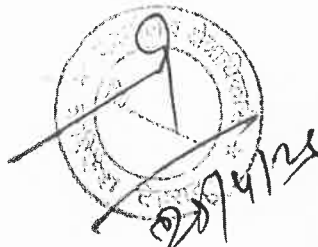
कृपया इस कार्यालय के पत्रांक-2799/वाद संख्या सी-0605/2024 दिनांक 11-11-2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें अनाधिकृत भवन निर्माणकर्ता श्री रतुडी/भवन स्वामी निवासी लक्कडघाट रोड श्यामपूर ऋषिकेश के द्वारा विना प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किये निर्माण करने पर अनाधिकृत निर्माण को दिनांक 14-04-2024 को सील बन्द किया गया था। संबंधित क्षेत्रीय अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता द्वारा दिनांक 24-02-2026 को अवगत कराया गया कि स्थल निरीक्षण के दौरान पाया गया कि विपक्षी द्वारा स्थल पर सील को क्षतिग्रस्त करते हुए चोरी छूपे निरन्तर निर्माण कार्य किया जा रहा है। जिसे मौके पर रुकवाया गया है। जिसको पुनः सील करने की संस्तुति की गई है। अतः प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत अवैध निर्माण को पुनः दिनांक 13/05/26 को सील किया जाना प्रस्तावित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त नियत तिथि को अवैध निर्माण के सीलिंग की कार्यवाही शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

पत्रांक/दिनांक: उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-

1. प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली, ऋषिकेश को इस आशय के साथ कि उक्त नियत तिथि को आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. तहसीलदार, ऋषिकेश को इस निर्देश के साथ कि उक्त नियत तिथि को अध्यासन मुक्त करते हुए सीलिंग के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत यथोचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
3. नाजिर, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि उक्त नियत तिथि को पूर्वान्ह 11.00 बजे से पूर्व शाखा कार्यालय ऋषिकेश में सीलिंग से सम्बन्धित सामग्री उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
4. सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता/सम्बन्धित प्रोसेस सर्वर, शाखा कार्यालय ऋषिकेश को इस निर्देश के साथ कि वह निर्धारित तिथि पर प्रश्नगत अनधिकृत निर्माण के सीलिंग की कार्यवाही सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे।
5. अनधिकृत निर्माणकर्ता श्री रतुडी/भवन स्वामी निवासी लक्कडघाट रोड श्यामपूर ऋषिकेश को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।



(योगेश सिंह मेहरा)
उपजिलाधिकारी/पीठासीन अधिकारी,
कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
ऋषिकेश।

